न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2405/एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.07.2014 पारित द्वारा तहसीलदार, नामली जिला रतलाम प्रकरण क्रमांक 11/अ-13/2012-13.

पन्नालाल पिता रणछोरडजी जाति गायरी
निवासी ग्राम बांगरोद जिला रतलाम ....आवेदक

विरूद्ध

1. कमलाबाई पति बाबूलालजी धाकड़
   निवासी ग्राम बांगरोद जिला रतलाम
2. गोविंदराम पिता बगदीरामजी धाकड़
   निवासी ग्राम बांगरोद जिला रतलाम द्वारा
   मुख्त्यारआमखास
   बाबूलाल पिता गोविंदरामजी धाकड़
   निवासी बांगरोद जिला रतलाम ....अनावेदकगण

श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, रतलाम द्वारा पारित दिनांक 11.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार रतलाम के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बांगरोद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1211/4 रकबा 0.340 हैक्टेयर व सर्वे क्रमांक 1206/3 रकबा 0.040 हैक्टेयर की भूमि पर आने जाने का

रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही अंतरिम रास्ता खोले जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ-13/2012-13 दर्जकर दिनांक 11.07.2014 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा अनावेदक अपने खेत पर जाने हेतु बांगरोद से सेजावता मार्ग तथा अनावेदक कमलाबाई द्वारा आवेदक को अपने खेत पर जाने हेतु मार्ग को बिना क्षति पहुंचाये मकान के पास से स्थित रास्तें को खोले जाने साथ ही आवेदक अपने खेत की पियत हेतु पाईप लाईन की मरम्मत स्वयं के व्यय पर करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अत: प्रकरण का निराकरण आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी मेमो में उल्लेखित आधारों के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। निगरानी मेमो में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसीलदार का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि अनावेदक क्रमांक 2 ने आवेदक की ओर से प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद अनावश्यक रूप से नया विवाद पैदा किया गया है, जबकि अनावेदकगण के पास उनकी भूमि पर जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है।

(2) अनावेदकगण उनकी मालकी की भूमि पर गांव बांगरोद सेजावता के मुख्य मार्ग से घटला मार्ग जाता है, उस पर जाने पर रामेश्वर और मांगीलाल गायरी के जमीन के बीच जो रास्ता है वह कदिमी रास्ता है, जिसका उपयोग अनावेदकगण करता आया है। उक्त स्थिति नक्शे से भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा नवीन रास्ता देने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

(3) यह स्वीकृत तथ्य है कि श्रीमती रामकुंवर पति पन्नालाल पक्षकार नहीं है और बिना उन्हें पक्षकार बनाये अनावेदकगण की ओर से मनमाना नक्शा प्रस्तुत कर नानुराम के खेत से आवेदक पन्नालाल का खेत जोड़कर बता देने पर तहसील न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विरूद्ध है।

(4) संहिता की धारा 131 व 32 के अंतर्गत तहसीलदार के नवीन रास्ता सृजित करने का अधिकार नहीं है।

(5) अनावेदकगण कमलाबाई की भूमि से होकर आवेदक के मालकी सर्वे क्रमांक 1211/4 एवं 1206/3 की भूमि जो कि पीछे स्थित है और जिसका पन्नालाल और उसकी पत्नि

रामकुंवर बाई के मालकी व आधिपत्य की भूमि 1212/11, 1244/2 से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उक्त भूमियां सेजावता बांगरोद मार्ग पर स्थित हैं और उसका घटला मार्ग से मांगीलाल व रामेश्वर की भूमि के मध्य जाने वाले रास्ते से कोई संबंध नहीं है। अनावेदक क्रमांक 1 कमलाबाई द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर मकान बना लेने से आवेदक के मालकी 1206/3, 1211/4 के रास्ते में उत्पन्न बाधा को दूर करने के लिए जो प्रकरण प्रस्तुत किया था, उसके बदले अनावेदक क्रमांक 2 ने अनावश्यक रूप से अपनी भूमि पर सेजावता बांगरोद रोड से आने जाने के लिए नया रास्ता बनाने के लिए बाद में प्रकरण प्रस्तुत किया है, जो प्रचलन योग्य नहीं है।

(6) तहसीलदार ने आवेदक के विरूद्ध नानुराम के खेत से लगे हुए आवेदक की पत्नि की भूमि के सेढे से जो नया रास्ता बनाने का जो आदेश दिया है, उस संबंध में मौका मुआवना किये बगैर आवेदक की उपस्थिति में कोई पंचनामा बनाये बगैर आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(7) तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश से नये विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और तहसीलदार का आदेश अवैधानिक, अनियमित, विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अनावेदकगण के आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया था, जिसे खोले जाने के आदेश देने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण उपरान्त प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का अन्तरिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस सम्बन्ध में 1988 आर.एन. 292 जानीबाई (श्रीमती) विरूद्ध ठाकुर सिंह में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्तप्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 131-अंतरिम आदेश-स्थल निरीक्षण के पश्चात अंतर्निहित शक्तियों के अधीन पारित किया जा सकता है ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । इसके अतिरिक्त चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थित में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर